37A

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत /नगर पंचायत का नाम – अमोठा/रियाड़ मल्ला

तहसील नैनीताल जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला नैनीताल उत्तराखण्ड में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नैनीताल में ग्राम अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि शून्य हे0, वन पंचायत भूमि 1.665 हे0) अर्थात कुल 1.665 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, रामनगर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रियाड़ मल्ला द्वारा दिनांक 1-11-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधॉनों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य हैं अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा हैं।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अमोठा/रियाड मल्ला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 1.665 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही हैं।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ह0/– रियाड़
ग्राम पंचायत
ग्राम सचिव
वि0 ख0 कोटाबाग (नैनीताल)

प्रधान
ग्राम पंचायत रियाड़
वि.ख. कोटाबाग (नैनीताल)
ह0/–
ग्राम प्रधान

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही हैं, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना हैं।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 1/11/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत अमोठा / रियाड़ मल्ला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री ईश्वरी दत्त जोशी	[illegible]
2	" धनानन्द जोशी	[illegible]
3	" हरीश चन्द्र जोशी	[illegible]
4	" तारादत्त जोशी	[illegible]
5	" नवीन चन्द्र जोशी	[illegible]
6	" भोलादत्त जोशी	[illegible]
7	" निर्मल चन्द्र जोशी	[illegible]
8	" उम राम	[illegible]
9	" दिवान गिरी	[illegible]
10	" नवीन चन्द्र बधानी	[illegible]
11	" नर गिरी	[illegible]
12	" नन्दावल्लभ बधानी	[illegible]
13	" इन्दर राम	[illegible]
14	" डोरी लाल	[illegible]
15	" हर राम	[illegible]
16	" रमेश राम	[illegible]
17	" पीत राम	[illegible]
18	" मुन्ना राम	[illegible]
19	" बाली राम	[illegible]
20	" महेन्द्र सिंह बिष्ट सरपंच रियाड़	[illegible]
21	" राम नाथ	[illegible]
22	" धन नाथ	[illegible]
23	" गणेश नाथ	[illegible]
24	" भुवन राम	[illegible]
25	श्रीमती गीता देवी	[illegible]
26	श्री जगदीश चन्द्र आर्य (अमोठा ग्राम प्रधान)	[illegible]

प्रधान
ग्राम पंचायत अमोठा
वि०ख० कोटाबाग (नैनीताल)

प्रधान
ग्राम पंचायत रियाड़
वि.ख कोटाबाग (नैनीताल)

37C

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नैनीताल

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ...नैनीताल......

उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र नैनीताल में ग्राम अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नवनिर्माण (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि शून्य हे0, वन पंचायत भूमि 1.665 हे0) अर्थात कुल 1.665 हे0 का लोक निर्माण विभाग, रामनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नैनीताल) की दिनांक ......11/10/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारें की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री .... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

1. श्री ......अभिषेक रोहेला...... उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष
2. श्री ......के०एन० भारती...... उपप्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य
3. श्री .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य/सचिव
4. श्री हेमचन्द्र नैनवाल बी0डी0सी0 क्षेत्र अमोठा .... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र नैनीताल में ग्राम अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण परियोजना हेतु 1.665 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं हैं। उक्त भूमि का संबधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी हैं।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, रामनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हैं। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र नैनीताल में ग्राम अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.665 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग, रामनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील --
जनपद --

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील --
जनपद --

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास खण्ड कोटाबाग में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण 1.665 है0 वन पचायत भूमि लोक निर्माण विभाग, रामनगर (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा– सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Per-Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

जिलाधिकारी
नैनीताल

37E

प्रपत्र–30.1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/ ~~Mrs/ Miss~~ V.K. Suman I.A.S. District Magistrate on dated 14.12.18 At time 5:00 P.M At Nainital in which application claiming rights in Nainital Tehsil area measuring 1.665 hect for the Construction of Under Honourable Chief Minister Annoucment 93 / 2015 in Constituency Nainital District Nainital Amotha to Dola Highschool link Road work forest Panchayat land Under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Nainital sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the document and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place ; Nainital.

Dated : ....

District Magistrate – Cum – Chairman
District Level Committee
Nainital

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

Annexure-I

38

FORM- I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Nainital

No.

Dated ....

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9 / 98- FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherin the MoEF issued guidelines on submission of evidences of having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherin MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.665 hectares of forest van pachyat land proposed to be diverted n favour of C.D. P.W.D. Ramnagar for New constrction of Gram Amotha to Dola Highschool link road Nainital District falls within jurisdiction of Nainital villages(s) in Amotha, Dola in Nainital tehsils.

It is further certified that.

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.665 hectares of forest Van Panchyat area proposed for road. A copy of recors of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division LevelCommittii(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 Annexure 4 Nos.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it:

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural Communities.

<u>Encls As above.</u>

Signature

14/12/18

(Full name and official seal of the Distirct Collector)

6

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नैनीताल

Annexure-II

(38)

FORM- II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttrakhand

Office of the District Collector Nainital

No.

Dated ....

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9 / 98- FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherin the MoEF issued guidelines on submission of evidences of having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherin MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.665 hectares of forest Van Panchyat land proposed to be diverted n favour of C.D. P.W.D. Ramnagar for New constrction of Gram Amotha to Dola Highschool link road Nainital District falls within jurisdiction of Nainital villages(s) in Amotha, Dola in Nainital tehsils.

It is further certified that.

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.665 hectares of forest Van Panchayat area proposed for diversion. A copy of recors of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division LevelCommittii(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .... to .... Annexure ...

(b) The Proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of .... villages(s) is enclosed as annexure .... to annexure..............

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.

384

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it:

(f) The rights of Prmitive Tribal Groups and Pre-Agreculutral Communities, where applicable have been specifically safeguared as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encls As above.

Signature

(Full name and official seal of the Distirct Collector)

जिला स्तरीय बैठक

क्र0 स0	उपस्थित सदस्यों के नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री विनोद कुमार सुमन	जिलाधिकारी, नैनीताल (अध्यक्ष)	
2		प्रभागीय वनाधिकारी, [illegible] न प्रभाग, रामनगर (सदस्य)	
3	श्री आर एस. सामन्त	जिला समाज कल्याण अधिकारी, (सदस्य)	जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल